चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 कमलेश कुमार पाण्डेय,उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह आरक्षी गौरव यादव व आरक्षी अजीजउद्दीन थाना मानिकपुर द्वारा मु0नं0 05/2016 मु0अ0सं0 72/2015 धारा 395,397,364,504 भादवि0 व 12/14 डीए एक्ट व मु0नं0 82/2015 मु0अ0सं0 41/2015 धारा 364,120बी भादवि0 12/14 डीए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त शिवा उर्फ शिवभवन कोल पुत्र सुच्चीलाल कोल निवासी पत्रकार का पुरवा मजरा कोटा कण्डैला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट व मु0नं0 176/2021 मु0अ0सं0 137/2020 धारा 324,323,504,506 भादवि0 थाना मानिकपुर के व वारण्टी अभियुक्त सोहनलाल पुत्र कुबेर निवासी सुअरगढ़ा मजरा चुरेहकेशरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट व मु0नं0 23/2023 मु0अ0सं0 53/2021 धारा 354,504,506 भादवि0 व 8 पॉक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अरुण वर्मा पुत्र बृजलाल निवासी लौधौआ मजरा कोटा कण्डैला थाना मानिकपुर को गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 जंगबहादुर सिंह, मय हमराह आरक्षी अवनीश थाना मानिकपुर द्वारा मु0नं0 16/2017 मु0अ0सं0 480/2013 धारा 147,148,149,307,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त अन्नू दर्जी पुत्र रमेश बाबू निवासी विकास नगर कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।